सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 528 राँची, बुधवार, 4 श्रावण, 1938 (श०)
26 जुलाई, 2017 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

21 जुलाई, 2017

विषयः- नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मियों की अनुशासनिक कारणों से सेवा समाप्त करने के फलस्वरूप राज्य सरकार के किसी भी विभाग में सेवाएँ प्राप्त नहीं किए जाने संबंधी शास्ति निर्धारण के संबंध में ।

संख्या- 01/विविध (संविदा)-40/2017/न०वि०आ०-4684-- नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत शहरी विकास से संबंधित विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त एक बड़ी संख्या में संविदा के आधार पर कार्मिकों की सेवायें प्राप्त की गई हैं ।

2. प्रायः यह देखा जाता है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के बहुआयामी कार्यों का अनुभव प्राप्त करने के पश्चात्, विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मी व्यक्तिगत कारणों से संविदा अवधि की समाप्ति के पूर्व इस अनुभव का लाभ प्राप्त करते हुए, राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग/संगठन में नियोजित हो जाते हैं ।

यह भी देखा जाता है कि संविदा कर्मियों के सौंपे गए कार्यों में अपेक्षित रूचि नहीं लिए जाने के फलस्वरूप निम्नस्तरीय कार्य प्रदर्शन एवं अन्य प्रशासनिक कारणों से उनकी संविदा आधारित सेवायें विभाग द्वारा समाप्त करने की बाध्यता उत्पन्न हो जाती है ।

3. उल्लेखनीय है कि विभागीय कार्य संपादन के दौरान उक्त संविदा कर्मियों को प्रशिक्षित करने में ना केवल सरकारी राशि का व्यय होता है बल्कि इससे सरकारी तंत्र के समय, साधन एवं श्रम का भी व्यय होता है ।

4. उपर्युक्त स्थिति में नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों की संविदा अवधि के पूर्व स्वेच्छा से पदत्याग करने अथवा प्रशासनिक कारणों से संविदा आधारित सेवायें समाप्त करने के परिप्रेक्ष्य में शास्ति के निर्धारण की आवश्यकता है, ताकि संविदा कर्मी सुगमता से विभाग की संविदा आधारित सेवाओं का परित्याग करते हुए राज्य सरकार के अन्य विभाग/संगठन में पुनः सेवा का अवसर प्राप्त न कर सके तथा नगर विकास एवं आवास विभाग में पूर्ण मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ पदीय दायित्वों का निर्वहन कर सकें ।

5. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं :-

5.1 संविदा कर्मी के विरूद्ध उनके निम्नस्तरीय कार्य प्रदर्शन, अशोभनीय आचरण अथवा दायित्वों के निर्वहन में चुक से संबंधित किसी श्रोत से प्राप्त सूचना के आलोक में सर्वप्रथम सम्पूर्ण मामले की विभागीय स्तर पर समीक्षा की जाएगी ।

5.2 विभागीय समीक्षा के क्रम में यदि संविदा कर्मी के विरूद्ध प्रथम द्रष्टया कर्त्तव्य में लापरवाही, अशोभनीय आचरण, अनियमितता अथवा नैतिक नीचता का संकेत मिलता है तो इस स्थिति में भारत के संविधान के अनुच्छेद-311 के प्रावधानों के तहत संबंधित संविदा कर्मी को बचाव बयान समर्पित करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा ।

5.3 बचाव बयान की विभागीय स्तर पर समीक्षा के पश्चात् यदि आरोप प्रमाणित होते हैं कि संविदा कर्मी के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है, जो नगर विकास एवं आवास विभाग में सेवाएँ प्रदान करने हेतु उनके बने रहने के अयोग्य प्रदर्शित करता है, तो इस स्थिति में सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करते हुए निम्नांकित शास्ति अधिरोपित करते हुए, ऐसे कर्मी की संविदा आधारित सेवायें समाप्त कर दी जाएगी :-

5.3.1 ऐसे संविदा कर्मी, जिन्हें कंडिका-5.2 में वर्णित कारणों से सेवा से मुक्त कर दिया जाता है, राज्य सरकार के अन्य किसी विभाग/उपक्रम में नियमित अथवा

संविदा आधारित सेवाओं में नियोजन हेतु सेवा की विमुक्ति की तिथि से अगले 05 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य होंगे ।

5.4 यदि कोई संविदा कर्मी अपनी संविदा अवधि के पूर्व स्वेच्छा से पदत्याग करता है एवं इस कारण विभागीय कार्यों के संपादन में बाधा पहुँचती हो, तो इसे गैर जिम्मेदाराना आचरण की श्रेणी में रखते हुए, उनके विरूद्ध निम्नांकित शास्ति अधिरोपित की जाएगी :-

5.4.1 संविदा पर नियुक्त वैसे कर्मी, जो 01 (एक) वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा के उपरांत त्यागपत्र देंगे, वैसी स्थिति में मुआवजे के रूप में उनसे 02 (दो) माह के मानदेय के समतुल्य राशि वसूली जायेगी ।

5.4.2 01 वर्ष से कम अवधि तक विभाग (निकाय सहित) में सेवा देने के पूर्व यदि कोई कर्मी त्यागपत्र देता है, तो वैसी स्थिति में 03 (तीन) माह के मानदेय के समतुल्य राशि उस कर्मी से वसूल की जायेगी ।

5.4.3 ऐसे संविदा कर्मी संविदा हेतु नियत अवधि की अवशेष अवधि हेतु राज्य सरकार के अन्य किसी विभाग/उपक्रम में नियमित अथवा संविदा आधारित सेवाओं में नियोजन हेतु अयोग्य होंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 528--200